RTI MATTER
BY SPEED POST

सं0 10–1 / 2015–एन0टी0सी0ए0
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

प्रथम तल, एनबीसीसी प्लेस, प्रगति विहार
भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली – 110 003
दूरभाष : 011–2436 2445
E-mail: aig-3ntca@nic.in
दिनांक: 22.06.2015

सेवा में,

श्री अजय दुबे,
एल–2, बी.डी.ए. फ्लैट,
सी सेक्टर, शाहपुरा, भोपाल।

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 03.06.2015 का अवलोकन करने की कृपा करें जो आपके आरटीआई दिनांक 24.04.2015 के संदर्भ में है। उक्त सन्दर्भ में मांगी गई सूचना इस प्राधिकरण के सम्बन्ध में निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	प्रश्न	सूचना / उत्तर
1	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के टाइगर रिज़र्व के फील्ड डायरेक्टर, एन.टी.सी.ए. और प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी के मध्य हुए त्रिपक्षीय समझौते के क्रियान्वयन संबंधित जानकारी उपलब्ध करायें।	आपके द्वारा मांगी गई जानकारी 61 पेजों में उपलब्ध है. प्रतियां प्राप्त करने के लिए रुपये 122 प्रति 2 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाना है।
2	छत्तीसगढ़ घासीदास टाइगर रिज़र्व के निमार्ण के संबंध में दिनांक 1 नवंबर, 2014 के पश्चात से जानकारी प्रदान करने तक एन.टी.सी.ए. और छ.ग. वन विभाग के मध्य हुए पत्राचार प्रदान करें।	छत्तीसगढ़ घासीदास टाइगर रिज़र्व के निमार्ण के संबंध में दिनांक 1 नवंबर, 2014 के पश्चात इस प्राधिकरण और छ.ग. वन विभाग के मध्य कोई पत्राचार नहीं हुआ है।
3	2013–14 के द्वारा बाघों की गणना के संबंध में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के वनों से प्राप्त फोटोग्राफ सी.डी. प्रदान करें।	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को सूचना उपलब्ध कराने के लिये हस्तांतरित किया जा रहा है।
4	मध्य पदेश के टाइगर रिज़र्व के बफर एरिया में ईको पर्यटन के संबंध में प्रदान की गई स्वीकृति एवं तकनीकी समिति के निर्णय को प्रदान करें।	ईको पर्यटन से संबंधित सभी दिशा–निर्देश सार्वजनिक डोमेन 'www.projecttiger.nic.in' में उपलब्ध है।

यदि आप उक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो निम्नलिखित अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है :–

श्री संजय कुमार,
उप वन महानिरीक्षक (एन.टी.सी.ए.),
प्रथम तल, एनबीसीसी प्लेस, प्रगति विहार,
भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली–110 003

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डॉ. वैभव चन्द माथुर)
सहायक वन महानिरीक्षक (रा.व्या.सं.प्रा.) एवं
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

DWII OFFICE
DIARY NO.: 1513
DATE: 06/07

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Right to Information Act, 2005
Apl. No. 2 Qtr. 2 Year 2015-16
Fee NA Inward Date 6/7/15

प्रतिलिपि
1. भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत, सीधे आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने के लिये हस्तांतरित किया जा रहा है **(संलग्नक आर.टी.आई. आवेदन–पत्र, प्रश्न सं0 3)।**
2. आर.टी.आई. सैल, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोर बाग रोड नई दिल्ली।

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
भारत सरकार, नई दिल्ली

RTI

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र ।

महोदय,

निवेदन है कि निम्नलिखित जानकारी से संबंधित आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रतियां / सी.डी. प्रदान करें :-

(1) छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर, एन.टी.सी.ए. और प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी के मध्य हुए त्रिपक्षीय समझौतों के क्रियान्वयन से संबंधित अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायें । Tripartite MoU

(2) छत्तीसगढ़ के घासीदास टाइगर रिजर्व के निर्माण के संबंध में दिनांक 1 नवम्बर, 2014 के पश्चात से जानकारी प्रदाय करने तक एन.टी.सी.ए. और छ.ग. वन विभाग के मध्य हुए पत्राचार प्रदान करें ।

381/MS(NTCA)/2015
6/5/15

(3) 2013-14 के द्वारा बाघों की गणना के संबंध में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के वनों से प्राप्त फोटोग्राफ सी.डी. में प्रदान करें ।

(4) मध्यप्रदेश के टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में ईको पर्यटन के संबंध में प्रदान की गई स्वीकृति एवं तकनीकी समिति के निर्णय को प्रदान करें ।

संलग्न-पोस्टल आर्डर रुपये 10/-

दिनांक 24-04-2015

24/4/15
(अजय दुबे)
एल-2, बी.डी.ए. फ्लैट
सी सेक्टर, शाहपुरा, भोपाल
मोबाइल-9893094043
Email -ajay20dubey@gmail.com.

AIG (PM)
5.5.15

Khushi
Plz put up immediately
6.5.15